पत्रांक–भवन/स्था0–02–विविध–76/2023............137 (M)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अवधेश नंदन सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
विद्युत भवन अंचल, पटना/अग्रिम योजना अंचल, पटना/भवन निरूपण अंचल सं0–01, पटना/भवन निरूपण अंचल सं0–02/संरचना अंचल, पटना/भवन अंचल, मुजफ्फरपुर/भवन अंचल, छपरा/निदेशक गुणवत्ता अनुश्रवण (दक्षिण), गया जी/निदेशक गुणवत्ता अनुश्रवण (मध्य), नालंदा/निदेशक गुणवत्ता अनुश्रवण (उत्तर), दरभंगा/निदेशक, अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन–सह–क्रय कोषांग /विद्युत कार्य अंचल, दक्षिण बिहार/सरंचना अंचल, पटना/दक्षिण बिहार अंचल, पटना, भवन निर्माण विभाग, बिहार।

ई–मेल

अतिआवश्यक

पटना दिनांक– 06/1/26

विषयः– अधीनस्थ कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक, कार्यालय परिचारी एवं अन्य श्रेणी के सृजित पदों पर रोस्टर क्लियरेंस एवं अधियाचना प्रेषण संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण स्पष्टीकरण की मांग के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–11628,11629,11630,11631 दिनांक–24.12.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि विभाग द्वारा पूर्व में आपको अनेक विभागीय पत्रांक (प्रसंगीक पत्रों में वर्णित) के माध्यम से स्पष्ट निदेश दिया गया है कि आप अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक, कार्यालय परिचारी एवं अन्य श्रेणी के सृजित पदों के विरुद्ध रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए, रिक्त पदों हेतु प्रेषीत अधियाचना का प्रतिवेदन अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- इस संबंध में आपको कई बार स्मारित (प्रसंगीक पत्रों में वर्णित) भी किया जा चुका है। किंतु, खेद का विषय है कि लंबा समय बीत जाने के बावजूद आदिनांक आपके स्तर से वांछित कार्रवाई का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- आपका यह कृत्य सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना का परिचायक है, जो कि कदापि स्वीकार्य नहीं है। कार्य में इस प्रकार के विलंब से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो रही है जिस वजह से सरकार द्वारा रोजगार संबंधी किये गये निश्चयों को पूरा करने में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
- आपको निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 72 घंटे (अथवा 3 दिन) के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों न सरकारी कार्य में शिथिलता बरतने एवं आदेश की अवहेलना करने के आरोप में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए?

अतः साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि वांछित रोस्टर क्लीयरेंस एवं अधियाचना प्रेषित करने संबंधी प्रतिवेदन इस स्पष्टीकरण के साथ ही अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध करा दी जाए।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

विश्वासभाजन,

ह०/- 06.01.26.

(अवधेश नंदन सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव–सह–
नोडल पदाधिकरी(सात निश्चय)।

Shivam